

## कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या: कोविड-19/2021 **405**

दिनांक: 17 मई 2021

### आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 548/पॉच-5-2020, दिनांक: 14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के क्रम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम् संसोधन) दिनांक: 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांक: 30 जून 2021 तक या जब तक अग्रेतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी में कोविड पॉजीटिव गर्भवती महिलाओं को सुगमतापूर्वक प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित चिकित्सकों एवं एनेस्थेतिस्ट की ड्यूटी अग्रिम आदेशों तक लगाई जाती है।


क्र० सं०	चिकित्सक का नाम	मोबाईल नं०	प्रातः 8 से 2	दोपहर 2 से 8	रात्रि 8 से प्रातः 8	टिप्पणी	
1	डा० पूनम तिवारी	9792892185	M,T,W.T.F.Sat			दिनांक: 18 से दिनांक: 24 मई के उपरान्त चकानुसार ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।	
2	डा० शबाना बानों	9451303353		M,T,W.T.F,Su			
3	डा० प्रिया सिंह	7376209689			M.T.Th.S.Su		
4	डा० हाशिम असांरी	8707278292	Sun Reliver	Sat Reliver	Wed, Fri Reliver		
6	डा० विश्वनाथ मद्देशिया	9794922964	आन काल 24 घण्टे				
7	डा० उमेश चन्द्र	9415181549	आन काल 24 घण्टे				

उपरोक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि जिला महिला चिकित्सालय में आने वाली कोविड पॉजीटिव प्रसूताओं का सुरक्षित प्रसव प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें। यदि चिकित्साल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का असहयोग किया जाता है तो तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सूचित करेंगे।

डा० संगीता श्रीवास्तव, (8005192757) मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी को आदेशित किया जाता है कि कोविड पॉजीटिव गर्भवती प्रसूता का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराने हेतु उपरोक्त चिकित्सीय टीम को आवश्यक मानव संसाधन, लॉजिस्टिक एवं जॉच की सुविधा (24X7) प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी।

कोविड पॉजीटिव गर्भवती जिसको प्रसव हेतु भर्ती हो रही हो/भर्ती हो गई हो तो तत्काल आई०सी०सी०सी० के वाट्सएप नम्बर-**9569528403** पर मरीज का पूर्ण विवरण एवं तामीरदार का मोबाईल नम्बर प्रेषित करेंगे ताकि उसका फालोअप आई०सी०सी०सी० से कराया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 (कोरोना वायरस) सकंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

  
(डा० आशीष सिंह)  
जिलाधिकारी  
बाराबंकी।

दिनांकित।

संख्या: कोविड-19/2020 **7371**

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित-:

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
5. समस्त उप जिला अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी।
7. समस्त अधीक्षक, सामु०स्वा०केन्द्र बाराबंकी
8. मैट्रन(9369951367) एवं हास्पिटल मैनेजर,(8960080701) जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी
9. रेडियोलॉजिस्ट/पैथालॉजिस्ट/समस्त लैब टेक्नीशियन जिला महिला चिकित्सालय चिकित्सालय बाराबंकी को इस निर्देश के साथ की कोविड पॉजीटिव गर्भवती की आवश्यक जॉच प्राथमिकता पर तत्काल करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
10. संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ
11. प्रभारी अधिकारी, आई०सी०सी०सी०

जिलाधिकारी  
बाराबंकी